अ०सं०क०-11-04/2014 ..../

(8) 11

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

पटना, दिनांक--------

आमिर सुबहानी
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी

विषय:-बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय में पदस्थापित प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी के द्वारा राज्य एवं केन्द्र सम्पोषित ऋण योजनाओं में की जा रही वसूली की जिला स्तर पर समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से राज्य एवं भारत सरकार सम्पोषित ऋण योजनाओं में अल्पसंख्यकों को ऋण राशि मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी वसूली निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारियों द्वारा जिला में कमीशन के आधार पर कार्यरत वसूली अभिकर्त्ताओं की सहयोग से की जा रही है। जिला स्तर पर निगम की अपनी कोई आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण जिला स्तर पर वसूली की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने में कठिनाई हो रही है। अतएव निगम द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में वितरित की गई ऋण राशि की वसूली की समीक्षा एवं अनुश्रवण जिला स्तर पर करने के सिलसिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निम्नांकित दायित्व सौपा जाता है:-

1. सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक सोमवार को राज्य एवं भारत सरकार सम्पोषित ऋण योजनाओं में उनके जिला में कमीशन के आधार पर कार्यरत् वसूली अभिकर्त्ताओं के साथ बैठक कर उनके द्वारा दोनों प्रकार की ऋण योजनाओं में की गयी वसूली कार्य का ऋणीवार समीक्षा करेंगे और इस निमित्त निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग दोनों योजनाओं से सम्बंधित प्रतिवेदन को निगम को भेजेंगें, जिसकी प्रति निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को भी देंगे।
2. ऐसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय मुख्यालय जिला में पदस्थापित हैं, वे प्रमण्डल के अधीन सभी जिलों के वसूली अभिकर्त्ताओं एवं निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में वृहस्पतिवार को बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें वसूली की गयी राशि एवं उसे निगम के खाता में 3 दिनों के अन्दर जमा किये जाने की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगें तथा बैठक की कार्यवाही निगम मुख्यालय को भेजेंगें तथा इसकी प्रति विभाग को भी देंगे। प्रमण्डलीय प्रभारी दोनों प्रकार की योजनाओं में अलग-अलग विहित प्रपत्र में ऋण वसूली का जिलावार प्रतिवेदन निगम मुख्यालय को देंगे।

37D:\Shahid\File\Karyale Adesh

3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह में अपने जिला के कम-से-कम 5 लाभुकों के व्यवसायों का निरीक्षण कर उनके द्वारा ऋण राशि से अर्जित की गयी परिसम्पत्तियाँ का विवरण निगम मुख्यालय को देंगे। साथ ही इस ऋण योजना में लाभांवित होने के कारण उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में हुई उत्थान से सम्बंधित कोई "Success Story" बनती है, तो इस आशय का "Success Story", व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं लाभुक का फोटो प्राप्त कर निगम मुख्यालय को भेजेंगे तथा इसकी प्रति विभाग को भी देंगे।

4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह में अपने जिला के ऐसे ऋणी से सम्पर्क करेंगे, जो अनेकों प्रयास के बाद भी ऋण राशि की किस्तों की अदायगी नहीं कर रहे हैं।

5. प्रमादी (डिफॉल्टर) ऋणियों के विरुद्ध थाना/न्यायालय में N.I.Act 1938 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी/परिवाद पत्र दायर किया जाता है। प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी से ऐसे दायर मुकदमों में निर्गत वारंट की स्थिति प्राप्त कर अपने जिला के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर चूककर्त्ता/आरोपित ऋणियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कारवाई करेंगे।

6. प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली बैठक में निगम के अधिवक्ता को भी आमंत्रित करेंगे और उनके साथ न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करेंगे।

7. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना तथा एन.एम.डी.एफ.सी. के टर्मलोन के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का चेक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में और अपने कार्यालय में वितरित कराऐंगे।

8. प्रमण्डलीय मुख्यालय जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के इस प्रकार की बैठक में आतिथ्यादि के लिए प्रभारी द्वारा अधिकतम प्रति माह 200/- रुपये तक व्यय किया जा सकेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बंधित प्रभारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित अभिश्वत समर्पित किये जाने पर की जायगी।

दायित्व सौपे जाने संबंधित उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

08 JUL 2014

ह0/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-.....

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक- 7/7/14

ज्ञापांक:- 1313

प्रतिलिपि:-प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उनके अनुरोध पत्र के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
7.7.14

38D:\Shahid\File\Karyale Adesh